

जि अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• गोगा पुत्र श्री चोथू जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अराई जिला अजमेर राज्0 व अन्य
-वादीगण

बनाम

• अशरफ अली पुत्र मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य।
-प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 251 (क) भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 17 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 192

वकील वादी:- योगेश शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2024	<p>यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 17.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी अंराई</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाम् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/द्वै/अवकाश पर ध्यान दे। पत्रावली पूर्व अंशानुसार दिनांक 17/11/25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई आज ही ओर से कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्व अंशानुसार दिनांक 14/11/25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकाम् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/द्वै/अवकाश पर ध्यान दे। पत्रावली पूर्व अंशानुसार दिनांक 9/11/25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई आज ही ओर से कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्व अंशानुसार दिनांक 20/11/25 को पेश हो।</p>	

U.T. Taken by
[Signature]

उक्त आवारों के आव्याट पर उपसारी 23/11 पैरा किया गया CPC ORCR 7 rule 11 का अवलोकन किया गया बटल हुनी गई। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। वाले आदेश हेतु दिनांक 26/12/2025 को पैरा हो।

WB
 उपखण्ड अधिकारी
 अराई (अजमेरा)

26/11/25 पत्रावली पेश हुई। बकील पक्षकारण उप।

वाले पक्षकारण
 पत्रावली दिनांक 20/11/25 को पेश हो

WB
 उपखण्ड अधिकारी
 अराई

23/11/26 पत्रावली पेश हुई अतः
 की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/12/26 को पेश हो।

27/1/26 पत्रावली पेश हुई। बकील पक्षकारण उपस्थित।
 P.C. तहसिल मुनाज वार्ड/राजमार्ग/दरि/भवकला
 पर प्रवेश। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार 13/3/26 दिनांक को पेश हो।

(20)26 पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान कछिवमरा उपस्थित।
 दोनों पक्षों की अतिरिक्त बटल हुनी गयी।
 बटल उपरान्त परिवारी अधिकारता शरा 15 फीट
 रास्ता दिये जाने का विकल्प दिया। पत्रावली
 का अवलोकन किया गया। प्रार्थना का उपस्थान पत्र
 स्वीकार किया जाकर प्रथम ही आदेश लिखवाया
 जाकर शामिल पत्रावली दिया गया। पत्रावली कौशल
 व कुमार होकर नम्बर से कम है।

WB
 उपखण्ड अधिकारी
 अराई (अजमेरा)